

의안번호	제호	의결사항
의결 연월일	2024. . . (제회)	

철도안전법 시행령 일부개정령안

제출자	국무위원 ○○○ (국토교통부장관)
제출 연월일	2024. . .

법제처 심사 전

1. 의결주문

철도안전법 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 개정이유 및 주요내용

역시설 등 공중이 이용하는 철도시설 또는 철도차량에서 폭언 또는 고성방가 등 소란을 피우는 행위를 한 사람에게 100만원 이하의 과태료를 부과하도록 하는 등의 내용으로 「철도안전법」이 개정(법률 제20425호, 2024. 3. 26. 공포, 9. 27. 시행)됨에 따라, 해당 위반행위를 한 사람에 대한 과태료 부과금액을 1차 위반 시 30만원, 2차 위반 시 60만원, 3차 위반 시 90만원으로 정하려는 것임.

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

철도안전법 시행령 일부개정령안

철도안전법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 6 제2호소목의 위반행위란 중 “법 제47조제3항”을 “법 제47조제4항”으로 하고, 같은 호 오목 위반행위란 중 “법 제48조제5호”를 “법 제48조제1항제5호”로 하고, 같은 호 조목 위반행위란 중 “법 제48조제5호”를 “법 제48조제1항제5호”로 하며, 같은 호 초목부터 무목까지를 코목부터 부목까지로 하고, 같은 호 코목(중전의 초목) 위반행위란 중 “법 제48조제7호”를 “법 제48조제1항제7호”로 하며, 같은 호에 초목을 다음과 같이 신설한다.

초. 법 제48조제1항제6호를 위반하여 폭언 또는 고성방가 등 소란을 피우는 행위를 한 경우	법 제82조제4항 제4호	30	60	90
---	------------------	----	----	----

부 칙

이 영은 2024년 9월 27일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행					개정안				
[별표 6]					[별표 6]				
과태료 부과기준(제64조 관련)					과태료 부과기준(제64조 관련)				
1. (생략)					1. (현행과 같음)				
2. 개별기준					2. 개별기준				
위반 행위	근거 법조문	과태료 금액 (단위: 만원)			위반 행위	근거 법조문	과태료 금액 (단위: 만원)		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반			1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. ~ 보. (현행과 같음)		(현행과 같음)			가. ~ 보. (현행과 같음)		(현행과 같음)		
소. 법 제47조제3항에 따른 여객열차에 서의 금지행위에 관한 사항을 안내하지 않은 경우	법 제82조 제2항 제8호의2	150	300	450	소. 법 제47조제4항 ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----
오. 법 제48조제5호를 위반하여 철도시설(선로는 제외한다)에 승낙 없이 출입하거나 통행한 경우	법 제82조 제2항 제9호	150	300	450	오. 법 제48조제1항 제5호 ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- --	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----
조. 법 제48조제5호를 위반하여 선로에 승낙 없이 출입하거나 통행한 경우	법 제82조 제4항 제3호	30	60	90	조. 법 제48조제1항 제5호 ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- --	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----
<신 설>					초. 법 제48조제1항 제6호를 위반하여 폭언 또는 고성방가 등 소란을 피우는 행위를 한 경우	법 제82조 제4항 제4호	30	60	90
초. 법 제48조제7호·제9호 또는 제10호를 위반하여 철도시설에 유해물 또는 오물을 버리거나 열차운행에 지장을 준 경우	법 제82조 제2항 제7호의3	150	300	450	코. 법 제48조제1항 제7호 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --
코. 법 제48조의3제1항을 위반하여	법 제82조 제2항	150	300	450	토. ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----

국토교통부장관의 성능인증을 받은 보안검색장비를 사용하지 않은 경우	2항제 7호의 4				----- ----- ----- ----- -----	----- ----- -- ----- -----			
토. 인증기관 및 시험기관이 법 제48조의3제2항에 따른 보안검색장비의 성능인증을 위한 기준·방법·절차 등을 위반한 경우	법 제82조제2항제11호	150	300	450	포. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
포. 법 제49조제1항을 위반하여 철도종사자의 직무상 지시에 따르지 않은 경우	법 제82조제1항제14호	300	600	900	호. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
호. 법 제61조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제82조제1항제15호	300	600	900	구. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
구. 법 제61조제2항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제82조제2항제12호	150	300	450	누. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
누. 법 제61조의2제1항·제2항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제82조제1항제15호	300	600	900	두. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
두. 법 제73조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제82조제1항제16호	300	600	900	루. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
루. 법 제73조제1항에 따른 자료제출을 거부, 방해 또는 기피한 경우	법 제82조제1항제17호	300	600	900	문. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---
문. 법 제73조제2항에 따른 소속 공무원의 출입·검사를 거부, 방해 또는 기피한 경우	법 제82조제1항제18호	300	600	900	부. ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	---	---	---

〈 의안 소관 부서명 〉

국토교통부 철도안전정책과	
연 락 처	(044) 201 - 4617